

## अध्यक्ष काउंसलिंग समिति एवं तकनीकी शिक्षा संचालनालय, मध्यप्रदेश

चतुर्थ तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004

### केन्द्रीयकृत अतिरिक्त चरण उपरान्त विभिन्न पाठ्यक्रमों में रिक्त एवं ड्रापआउट सीटों पर प्रवेश हेतु अन्तिम अवसर हेतु ऑनलाइन काउंसलिंग संशोधित कार्यक्रम, सत्र 2016-17

मध्यप्रदेश में स्थित शासकीय/स्वशासी/अनुदान प्राप्त/स्ववित्तीय एवं निजी संस्थानों में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी निम्न तालिका में दिये गये कार्यक्रमानुसार ऑनलाइन काउंसलिंग में इंटरनेट/एमपी मोबाइल (MPMobile) एन्ड्रायड एप के माध्यम से सम्मिलित हो सकते हैं।

स. क्र.	पाठ्यक्रम	ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन	दस्तावेजों का सत्यापन	इच्छित संस्थाओं के प्राथमिकताक्रम का ऑनलाइन चयन कर लॉक करना	प्रावधिक आवंटन की तिथि	आवंटन पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता एवं आवंटित संस्था में उपस्थिति एवं प्रवेश
1	बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर (B.Arch.) (नाटा एवं अर्हकारी परीक्षा आधारित)	10/08/2016 से 13/08/2016 सायं 3:00 बजे तक	10/08/2016 से 13/08/2016 (प्रातः 11 बजे से सायं 5:00 बजे तक कार्य दिवसों में)	10/08/2016 से 13/08/2016 रात्रि 11:45 बजे तक	14/08/2016 अपरान्ह 02 बजे	15/08/2016 अपरान्ह 02 बजे तक
2	बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग (B.E.) (प्रथमतः जेईई मेन-2016, तदउपरान्त अर्हकारी परीक्षा के आधार पर आवंटन जारी किया जायेगा)	11/08/2016 से 14/08/2016 प्रातः 10 बजे तक	11/08/2016 से 14/08/2016 प्रातः 10 बजे तक	11/08/2016 से 14/08/2016 प्रातः 11 बजे तक	14/08/2016 अपरान्ह 02 बजे	15/08/2016 अपरान्ह 02 बजे तक
3	बी.ई. -अंशकालिक (B.E.- Part Time) (अर्हकारी परीक्षा आधारित)	12/08/2016 से 13/08/2016 सायं 3 बजे तक	12/08/2016 से 13/08/2016 (प्रातः 11 बजे से सायं 5:00 बजे तक कार्य दिवसों में)	12/08/2016 से 13/08/2016 रात्रि 11:45 बजे तक	14/08/2016 अपरान्ह 02 बजे	15/08/2016 अपरान्ह 02 बजे तक
4	बी./डी. फार्मसी (B.Pharmacy/D.Pharmacy) (अर्हकारी परीक्षा आधारित)	11/08/2016 से 14/08/2016 प्रातः 10 बजे तक	11/08/2016 से 14/08/2016 प्रातः 10 बजे तक	11/08/2016 से 14/08/2016 प्रातः 11 बजे तक	14/08/2016 अपरान्ह 02 बजे	15/08/2016 अपरान्ह 02 बजे तक
5	लेटारल एण्ट्री - बी.ई./बी. फार्मसी (Letaral Entry - B.E./B.Pharmacy) (अर्हकारी परीक्षा आधारित)	11/08/2016 से 14/08/2016 प्रातः 10 बजे तक	11/08/2016 से 14/08/2016 प्रातः 10 बजे तक	11/08/2016 से 14/08/2016 प्रातः 11 बजे तक	14/08/2016 अपरान्ह 02 बजे	15/08/2016 अपरान्ह 02 बजे तक
6	बैचलर इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नालॉजी (B.H.M.C.T.) (अर्हकारी परीक्षा आधारित)	10/08/2016 से 13/08/2016 सायं 3:00 बजे तक	10/08/2016 से 13/08/2016 (प्रातः 11 बजे से सायं 5:00 बजे तक कार्य दिवसों में)	10/08/2016 से 13/08/2016 रात्रि 11:45 बजे तक	14/08/2016 अपरान्ह 02 बजे	15/08/2016 अपरान्ह 02 बजे तक
7	एम.सी.ए. (M.C.A.) (अर्हकारी परीक्षा आधारित)	10/08/2016 से 13/08/2016 सायं 3:00 बजे तक	10/08/2016 से 13/08/2016 (प्रातः 11 बजे से सायं 5:00 बजे तक कार्य दिवसों में)	10/08/2016 से 13/08/2016 रात्रि 11:45 बजे तक	14/08/2016 अपरान्ह 02 बजे	15/08/2016 अपरान्ह 02 बजे तक

संशोधित कार्यक्रम दिनांक 13 अगस्त 2016 सायं 6 बजे

8	एम.सी.ए. – लेटरल एण्ट्री (M.C.A. – Letaral Entry) (अर्हकारी परीक्षा आधारित)	11/08/2016 से 14/08/2016 प्रातः 10 बजे तक	11/08/2016 से 14/08/2016 प्रातः 10 बजे तक	11/08/2016 से 14/08/2016 प्रातः 11 बजे तक	14/08/2016 अपरान्ह 02 बजे	15/08/2016 अपरान्ह 02 बजे तक
9	एमसीए –एकीकृत (M.C.A. – Integrated) (पूर्णकालिक 5 वर्ष पाठ्यक्रम ) (अर्हकारी परीक्षा आधारित)	12/08/2016 से 13/08/2016 सायं 3 बजे तक	12/08/2016 से 13/08/2016 (प्रातः 11 बजे से सायं 5:00 बजे तक कार्य दिवसों में)	12/08/2016 से 13/08/2016 रात्रि 11:45 बजे तक	14/08/2016 अपरान्ह 02 बजे	15/08/2016 अपरान्ह 02 बजे तक
10	एम.फार्मसी (M.Pharmacy) (प्रथमतः जीपेट परीक्षा, तदउपरान्त अर्हकारी परीक्षा के आधार पर आवंटन जारी किया जायेगा)	11/08/2016 से 14/08/2016 प्रातः 10 बजे तक	11/08/2016 से 14/08/2016 प्रातः 10 बजे तक	11/08/2016 से 14/08/2016 प्रातः 11 बजे तक	14/08/2016 अपरान्ह 02 बजे	15/08/2016 अपरान्ह 02 बजे तक
11	एम.टेक.–एम.ई. (M.Tech./M.E.) (पूर्णकालिक/अंशकालिक) (प्रथमतः गेट परीक्षा, तदउपरान्त अर्हकारी परीक्षा के आधार पर आवंटन जारी किया जायेगा)	11/08/2016 से 14/08/2016 प्रातः 10 बजे तक	11/08/2016 से 14/08/2016 प्रातः 10 बजे तक	11/08/2016 से 14/08/2016 प्रातः 11 बजे तक	14/08/2016 अपरान्ह 02 बजे	15/08/2016 अपरान्ह 02 बजे तक
12	एम.बी.ए. (M.B.A.) (पूर्णकालिक/अंशकालिक) (प्रथमतः सीमैट-2016 तदउपरान्त अर्हकारी परीक्षा के आधार पर आवंटन जारी किया जायेगा)	11/08/2016 से 14/08/2016 प्रातः 10 बजे तक	11/08/2016 से 14/08/2016 प्रातः 10 बजे तक	11/08/2016 से 14/08/2016 प्रातः 11 बजे तक	14/08/2016 अपरान्ह 02 बजे	15/08/2016 अपरान्ह 02 बजे तक
13	एम.बी.ए.–एकीकृत (M.B.A. Intregated) (पूर्णकालिक 5 वर्ष पाठ्यक्रम ) (अर्हकारी परीक्षा आधारित)	12/08/2016 से 13/08/2016 सायं 3 बजे तक	12/08/2016 से 13/08/2016 (प्रातः 11 बजे से सायं 5:00 बजे तक कार्य दिवसों में)	12/08/2016 से 13/08/2016 रात्रि 11:45 बजे तक	14/08/2016 अपरान्ह 02 बजे	15/08/2016 अपरान्ह 02 बजे तक
14	डिप्लोमा–पीपीटी पाठ्यक्रम (Diploma-PPT Courses) (अर्हकारी परीक्षा आधारित)	11/08/2016 से 13/08/2016 सायं 3 बजे तक	11/08/2016 से 13/08/2016 (प्रातः 11 बजे से सायं 5:00 बजे तक कार्य दिवसों में)	11/08/2016 से 13/08/2016 रात्रि 11:45 बजे तक	14/08/2016 अपरान्ह 02 बजे	15/08/2016 अपरान्ह 02 बजे तक
15	डिप्लोमा –नॉन पीपीटी पाठ्यक्रम (Diploma-NON PPT Courses) (अर्हकारी परीक्षा आधारित)	11/08/2016 से 14/08/2016 प्रातः 10 बजे तक	11/08/2016 से 14/08/2016 प्रातः 10 बजे तक	11/08/2016 से 14/08/2016 प्रातः 11 बजे तक	14/08/2016 अपरान्ह 02 बजे	15/08/2016 अपरान्ह 02 बजे तक
16	डिप्लोमा (Diploma) (डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर/एकलव्य योजनान्तर्गत पाठ्यक्रम) (अर्हकारी परीक्षा आधारित)	11/08/2016 से 13/08/2016 सायं 3 बजे तक	11/08/2016 से 13/08/2016 (प्रातः 11 बजे से सायं 5:00 बजे तक कार्य दिवसों में)	11/08/2016 से 13/08/2016 रात्रि 11:45 बजे तक	14/08/2016 अपरान्ह 02 बजे	15/08/2016 अपरान्ह 02 बजे तक

महत्वपूर्ण सूचना	
1	प्रावधिक आवंटन पश्चात् अभ्यर्थी को आवंटित संस्था में अंतिम तिथि 15/08/2016 दोपहर 02.00 बजे तक रिपोर्टिंग करना होगी। यदि अभ्यर्थी ने पूर्व के किसी भी चरण में अधिकृत सहायता केन्द्रों से दस्तावेजों का सत्यापन नहीं करवाया है उन्हें अंतिम तिथि 27/08/2016 सायं 05.00 बजे तक अधिकृत सहायता केन्द्रों से स्वयं उपस्थित होकर दस्तावेजों का सत्यापन करवाना आवश्यक होगा।
2	जिन अभ्यर्थियों द्वारा अंतिम तिथि 27/08/2016 सायं 05.00 बजे तक तक मूल दस्तावेजों का सत्यापन अधिकृत सहायता केन्द्रों से नहीं कराया जायेगा उनको दिनांक 14/08/2016 को दिये गये प्रावधिक आवंटन/प्रवेश को स्वतः ही निरस्त माना जावेगा, यद्यपि उनके द्वारा आवंटित संस्था में रिपोर्टिंग कर दी गई हो। अधिकृत सहायता केन्द्रों से दस्तावेजों का सत्यापन करवा चुके अभ्यर्थियों के नाम ही प्रवेशित अभ्यर्थियों की सूची में शामिल कर, संबंधित विश्वविद्यालय को भेजे जायेंगे।
3	काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने वाले अभ्यर्थी पंजीयन के समय अर्हकारी परीक्षा के अंको का विवरण, जन्म तिथि एवं श्रेणी/वर्ग सावधानी पूर्वक भरें। अभ्यर्थी द्वारा दी गई इस जानकारी के आधार पर मेरिट सूची बनाई जाकर आवंटन जारी किया जाता है। अतः आवंटन पश्चात् सत्यापन की स्थिति में पंजीयन के समय भरी गई जानकारी में त्रुटि पाये जाने पर अभ्यर्थी का आवंटन स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।
4	अन्य जानकारियां जैसे अभ्यर्थी का नाम, अर्हकारी परीक्षा का अनुक्रमांक, बोर्ड का नाम एवं मोबाईल नंबर इत्यादि का विवरण भी सावधानी पूर्वक भरें। किसी भी त्रुटि की स्थिति में अध्यक्ष काउंसलिंग समिति का निर्णय अंतिम होगा।
5	प्रथमतः प्रवेश परीक्षा के आधार पर तदोपरान्त अर्हकारी परीक्षा के आधार पर प्रावधिक आवंटन जारी किया जायेगा।
6	प्रवेश नियम, विस्तृत समय-सारणी, अभ्यर्थी मार्गदर्शिका/काउंसलिंग प्रक्रिया वेबसाइट पर उपलब्ध है। सम्पर्क फोन नं. 0755-4019400

महत्वपूर्ण:	
<b>ऑनलाईन पंजीयन (Registration) :-</b>	
1.	काउंसलिंग के अंतिम चरण में सम्मिलित होने वाले समस्त अभ्यर्थियों को प्रवेश परीक्षा आधारित अथवा अर्हकारी परीक्षा आधारित केवल एक बार पंजीयन कराना आवश्यक होगा, जो कि निःशुल्क रहेगा।
2.	काउंसलिंग के केन्द्रीकृत किसी भी पूर्व के चरण में पंजीयन करवा चुके अभ्यर्थियों को पुनः पंजीयन करने की आवश्यक नहीं है।
<b>सत्यापन:-</b>	
1.	काउंसलिंग सम्मिलित होने वाले सभी अभ्यर्थियों पंजीयन के उपरांत अपने दस्तावेजों का सत्यापन अधिकृत सहायता केन्द्रों पर स्वयं उपस्थित होकर करवा सकते हैं।
2.	काउंसलिंग सम्मिलित होने वाले सभी अभ्यर्थियों को, प्राथमिकताक्रम का चयन (च्वाईस फिलिंग) से पूर्व अथवा बाद में अथवा संस्था का प्रावधिक आवंटन पश्चात आवंटित संस्था में अंतिम तिथि 27/08/2016 सायं 05.00 बजे तक अधिकृत सहायता केन्द्र से दस्तावेज सत्यापन करवाना अनिवार्य होगा।
3.	अभ्यर्थी ने पूर्व के किसी भी चरण में अधिकृत सहायता केन्द्रों से दस्तावेजों का सत्यापन नहीं करवाया है उन्हें अंतिम तिथि तक अधिकृत सहायता केन्द्रों से स्वयं उपस्थित होकर दस्तावेजों का सत्यापन करवाना आवश्यक होगा।
4.	जिन अभ्यर्थियों द्वारा अंतिम तिथि तक मूल दस्तावेजों का सत्यापन अधिकृत सहायता केन्द्रों से नहीं कराया जायेगा उनको दिनांक 14/08/2016 को दिये गये प्रावधिक आवंटन/प्रवेश को स्वतः ही निरस्त माना जावेगा, यद्यपि उनके द्वारा आवंटित संस्था में रिपोर्टिंग कर दी गई हो। अधिकृत सहायता केन्द्रों से दस्तावेजों का सत्यापन करवा चुके अभ्यर्थियों के नाम ही प्रवेशित अभ्यर्थियों की सूची में शामिल कर, संबंधित विश्वविद्यालय को भेजे जायेंगे।
<b>ऑनलाईन प्राथमिकताक्रम का चयन (Choice Filling) :-</b>	
1(a)	काउंसलिंग में सम्मिलित होने वाले समस्त अभ्यर्थियों को इच्छित संस्थाओं की ऑनलाईन प्राथमिकताक्रम का चयन (च्वाईस फिलिंग) उपरांत लॉक की कार्यवाही पूर्ण करना आवश्यक होगा। ऑनलाईन प्राथमिकताक्रम का चयन (च्वाईस फिलिंग) को लॉक करने हेतु समस्त श्रेणी/वर्ग के अभ्यर्थियों को काउंसलिंग व आंशिक शिक्षण शुल्क ₹1530/- (काउंसलिंग शुल्क ₹400/-, आंशिक शिक्षण शुल्क ₹1000/- एवं पोर्टल शुल्क ₹130/- सहित) देय होगा, उक्त समस्त शुल्क वापसी योग्य नहीं होगा (नॉन-रिफण्डेबल)।
1(b)	ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने काउंसलिंग के किसी पूर्ववर्ती चरण में आवंटन उपरांत संस्था में प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण नहीं की है, अथवा जिन्होंने संस्था में प्रवेश प्राप्त कर उसको निरस्त करवा लिया है, उन्हें काउंसलिंग के उत्तरोत्तर चरण में सम्मिलित होने के लिये संस्थाओं की ऑनलाईन प्राथमिकता क्रम के चयन उपरांत लॉक की कार्यवाही पुनः पूर्ण करना होगा। ऐसे समस्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्राथमिकताक्रम का चयन (च्वाईस फिलिंग) करने के लिये आंशिक शिक्षण शुल्क ₹1130/- (₹130/-पोर्टल शुल्क सहित) देय होगा, उक्त समस्त शुल्क वापसी योग्य नहीं होगा (नॉन-रिफण्डेबल)।
2(a)	डिप्लोमा (पीपीटी एवं नॉन-पीपीटी पाठ्यक्रम) पाठ्यक्रमों की काउंसलिंग में सम्मिलित होने वाले समस्त अभ्यर्थियों को संस्थाओं की ऑनलाईन प्राथमिकताक्रम का चयन (च्वाईस फिलिंग) उपरांत लॉक की कार्यवाही पूर्ण करना आवश्यक होगा। ऑनलाईन प्राथमिकताक्रम का चयन (च्वाईस फिलिंग) को लॉक करने हेतु समस्त श्रेणी/वर्ग के अभ्यर्थियों को काउंसलिंग शुल्क ₹330/- (काउंसलिंग शुल्क ₹200/- एवं पोर्टल शुल्क ₹130/- सहित) देय होगा, उक्त समस्त शुल्क वापसी योग्य नहीं होगा (नॉन-रिफण्डेबल)।

2(b)	ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने डिप्लोमा (पीपीटी एवं नॉन-पीपीटी पाठ्यक्रम) पाठ्यक्रमों की काउंसलिंग के किसी पूर्ववर्ती चरण में आवंटन उपरांत संस्था में प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण नहीं की है, अथवा जिन्होंने संस्था में प्रवेश प्राप्त कर उसको निरस्त करवा लिया है, उन्हें काउंसलिंग के उत्तरोत्तर चरण में सम्मिलित होने के लिये संस्थाओं की ऑनलाईन प्राथमिकता क्रम के चयन उपरांत लॉक की कार्यवाही पुनः पूर्ण करना होगा। ऐसे समस्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्राथमिकताक्रम का चयन (च्वाईस फिलिंग) करने के लिये ₹ 130/- पोर्टल शुल्क देय होगा, उक्त समस्त शुल्क वापसी योग्य नहीं होगा (नॉन-रिफण्डेबल)।
3.	डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर/एकलव्य योजनान्तर्गत डिप्लोमा पाठ्यक्रम की काउंसलिंग में सम्मिलित होने वाले समस्त अभ्यर्थियों को प्रत्येक चरण में संस्थाओं की ऑनलाईन प्राथमिकताक्रम का चयन (च्वाईस फिलिंग) उपरांत लॉक की कार्यवाही पूर्ण करना आवश्यक होगा। ऑनलाईन प्राथमिकताक्रम का चयन (च्वाईस फिलिंग) को लॉक करने हेतु समस्त श्रेणी/वर्ग के अभ्यर्थियों को पोर्टल शुल्क ₹130/- देय होगा, उक्त शुल्क वापसी योग्य नहीं होगा (नॉन-रिफण्डेबल)।

**प्रावधिक आवंटन/प्रवेश (Provisional Allotment/Adimmission) :-**

1.	प्रथमतः प्रवेश परीक्षा आधारित को तदोपरान्त सीट रिक्त रहने पर अर्हकारी परीक्षा के आधार पर मेरिट अनुसार प्राथमिकताक्रमानुसार सीट का आवंटन जारी किया जायेगा। अभ्यर्थी को प्रवेश हेतु संस्था में उपस्थित होकर प्रवेश की कार्यवाही निर्धारित समय-सारणी अनुसार पूर्ण करनी होगी।
----	---

**सामान्य निर्देश:-**

1.	अभ्यर्थी स्वयं का विशेष मोबाईल नंबर तथा ई-मेल आईडी तैयार रखें।
2.	प्रत्येक कार्यवाही उपरांत ऑनलाइन रसीद अवश्य प्राप्त करें। काउंसलिंग संबंधी समस्त ईमेल/एसएमएस सुरक्षित रखें।
3.	सत्यापन उपरांत सत्यापन करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षरित पावती अवश्य प्राप्त करें।
4.	शुल्क का भुगतान इंटरनेट बैंकिंग अथवा एटीएम/डेबिट/क्रेडिट कार्ड/ई-वालेट (Paytm) के माध्यम से किया जा सकता है। उक्त सुविधा न होने पर किसी भी अधिकृत सहायता केन्द्र (काउंसलिंग प्राधिकारी द्वारा अधिकृत) अथवा एमपीऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क पर नगद भुगतान द्वारा किया जा सकता है।
5.	प्राथमिकताक्रम का चयन (च्वाईस फिलिंग) उपरांत लॉक करने के लिये नगद भुगतान के विकल्प के उपयोग करने वाले अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि अपनी सुविधानुसार सर्वप्रथम रजिस्ट्रेशन उपरांत च्वाईस फिलिंग की कार्यवाही इंटरनेट पर कहीं से भी संपादित कर सेव (Save) कर लें, तत्पश्चात् ही किसी अधिकृत सहायता केन्द्र/कियोस्क पर जाकर नगद भुगतान कर ऑनलाइन रसीद प्राप्त करें।
6.	अधिकृत सहायता केन्द्रों (Help Centres) (जोकि मध्यप्रदेश के शासकीय/स्वशासी/अनुदान प्राप्त पोलीटेक्निक महाविद्यालय/महिला पोलीटेक्निक महाविद्यालय/राज्य के स्वशासी एवं अनुदान प्राप्त इंजीनियरिंग महाविद्यालय हैं/चयनित आई.टी.आई. एवं मॉडल स्कूल) की जिसकी सूची वेबसाइट पर उपलब्ध है।
7.	सहायता केन्द्रों या आवंटित संस्था में अपने मूल दस्तावेज कदापि जमा न करें तथा सत्यापन उपरांत वापिस ले लें। किसी भी अनजान व्यक्ति, एजेंट/दलालों को अपने दस्तावेज/फोटोकापी न दें।
8.	प्रवेश नियम व काउंसलिंग प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी <a href="http://www.dtempcounselling.org">www.dtempcounselling.org</a> तथा <a href="http://dte.mponline.gov.in">dte.mponline.gov.in</a> पर उपलब्ध है जिसका अभ्यर्थी सूक्ष्मता से अध्ययन कर काउंसलिंग में सम्मिलित होंगे।

**अभ्यर्थियों एवं अभिभावकों हेतु महत्वपूर्ण सुझाव एवं सावधानियां**

1.	मूल दस्तावेज किसी भी परिस्थिति में जमा नहीं करें। आवंटित संस्था में प्रवेश के समय आवश्यक दस्तावेजों की केवल फोटोप्रति ही जमा करनी हैं। संस्था में प्रवेश के समय स्थानांतरण प्रमाण-पत्र (टीसी) की मूल प्रति आवश्यक रूप से जमा की जाना है तथा आवश्यक होने पर माईग्रेशन की मूल प्रति भी जमा करनी होगी।
2.	काउंसलिंग में पंजीयन (Registration) के लिये ईमेल आईडी एवं मोबाइल नम्बर पूर्व से निर्धारित कर लें। काउंसलिंग पंजीयन, सत्यापन, प्राथमिकता चयन एवं संस्था में रिपोर्टिंग इत्यादि संबंधी आवश्यक निर्देश उक्त ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर पर ही भेजे जावेंगे।
3.	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त संस्थानों की सूची वेबसाइट <a href="http://www.dtempcounselling.org">www.dtempcounselling.org</a> तथा <a href="http://dte.mponline.gov.in">dte.mponline.gov.in</a> पर उपलब्ध रहेगी। अभ्यर्थी तदानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही संपादित करें।